बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः—12 / वि0—135 / 2025 -1062 पटना, दिनांकः— 17.7.25

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025—26 में अल्प वर्षापात् के कारण उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भू—जल स्तर में गिरावट के कारण साधारण चापाकल / पुराने जीर्ण—शीर्ण बंद चापाकलों के अकार्यरत होने की स्थिति में पेयजल समस्या से निजात हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़) के तहत नये चापाकलों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के तहत कुल 528 अदद नये चापाकलों (नये उन्नत क्षमता के इंडिया मार्क—II चापाकल का निर्माण प्लेटफॉर्म एंव नाली तथा सोख्ता सहित) हेतु रू0 498.43200 लाख (चार करोड़ अनठानवे लाख तेतालीस हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेशः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025—26 में अल्प वर्षापात् के कारण उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भू—जल स्तर में गिरावट के कारण साधारण चापाकल / पुराने जीर्ण शीर्ण बंद चापाकलों के अकार्यरत होने की स्थिति में पेयजल समस्या से निजात हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़) के तहत नये चापाकलों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के तहत कुल 528 अदद् नये चापाकलों (नये उन्नत क्षमता के इंडिया मार्क—II चापाकल का निर्माण प्लेटफॉर्म एवं नाली तथा सोखता सहित) हेतु रू0 498.43200 लाख (चार करोड़ अनठानवे लाख तेतालीस हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025—26) अन्तर्गत आपदा प्रबंधन विभाग से विभागीय पत्रांक—599, दिनांक—17.04.2025 के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पत्र संख्या—03 / बजट—01—18 / 2025 / 28—आ0प्रा0, दिनांक 09.05.2025 द्वारा रू0 2000.00 लाख रूपये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराया गया है (संलग्न—परिशिष्ट—I)।

इसके लिए बजट शीर्ष स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष —01—सूखा, लघु शीर्ष—282—लोक स्वास्थ्य, उप शीर्ष —0002—जलापूर्ति हेतु कुँओं आदि की मरम्मति, मांग संख्या—39, विपत्र कोड—39—2245012820002 में विषय शीर्ष—27 02—अनुरक्षण एवं मरम्मति के अन्तर्गत भारितव्य होगा।

3. इस योजना की तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता (रूपांकण) द्वारा प्रदान की गयी है।

4. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलावार चापाकलों का प्रकार, लक्ष्य एवं राशि परिशिष्ट–II पर संलग्न है।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

6. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहित के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

7. इस योजना को तीन माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

8. स्वीकृत योजना अंतर्गत चापाकलों का निर्माण जिला पदाधिकारी के अनुशंसा पर एस0सी0 एस0टी0 बसावटों तथा पेयजल समस्याग्रस्त टोलों/बसावटों में किया जायेगा एवं विभागीय MIS पर Geo-Tag करने एवं सामाजिक सत्यापन के उपरांत ही भुगतान किया जायेगा।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे। भूगर्भीय जल स्तर एवं भूगर्भीय संरचना के आलोक में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नलकूपों के प्रकार में परिवर्तन, स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जा सकता है।

10. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

11. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

12. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंण विभाग होंगे।

13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

14. वित्त विभाग की संकल्प संख्या–96 वि (2), दिनांक–03.01.2008 एवं संकल्प संख्या–एम 4–53/2007/12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

16. सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जायेगी।

17. वर्ष 2025–26 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पत्र संख्या–03/बजट–01–18/2025/28–आ0प्रा0, दिनांक 09.05.2025 द्वारा रू0 2000.00 लाख रूपये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध करायी गयी राशि से योजना पर व्यय किया जायेगा।

18. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक--यथोपरि।

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख--सह--विशेष सचिव (कार्य–प्रबंधन)

ज्ञापांक -1062 पटना, दिनांक-- 17.7.25

प्रतिलिपिः 1. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता (उ0बि0)/मुख्य अभियंता (द0बि0)/मुख्य अभियंता (रूपांकण)/ मुख्य अभियंता (अनु0)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/उप सचिव (प्र0को0)/कार्यवाहक सहायक–12/आई0टी0,मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/ मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरंभगा/मधुबनी/झंझारपुर/सीतामढ़ी एवं शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

4. सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

5. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख--सह--विशेष सचिव (कार्य–प्रबंधन)

परिशिष्ट-1

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में गर्मी एवं लू की स्थिति तथा जिलों में जल स्तर के गिरावट के कारण पेयजल हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़) के तहत नये चापाकलों का निर्माण कार्य

Sl No.	Name of District	Name of P.H. Division	Construction of 125mmX40mmX61M deep tube well with IM-II Hand pump @ 0.85900 Lakh		Total No. of Hand Pumps	Total Amount for construction of Hand Pumps	Construction of 1.0 m dia X 2.0 m Deep Soakpit @ 0.085 Lakh		Total Amount
			Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)	Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)	Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)	Financial (Rs. In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Darbhanga	Darbhanga	200	171.80000	200	171.80000	200	17.00000	188.80000
2	Madhubani	Madhubani	90	77.31000	90	77.31000	90	7.65000	84.96000
3	Madhubani	Jhanjharpur	90	77.31000	90	77.31000	90	7.65000	84.96000
4	Sitamarhi	Sitamarhi	98	84.18200	98	84.18200	98	8.33000	92.51200
5	Sheohar	Sheohar	50	42.95000	50	42.95000	50	4.25000	47.20000
		Total	**528**	**453.55200**	**528.00000**	**453.55200**	**528**	**44.88000**	**498.43200**

Technically approved for Rs. 498.432 lakh (Rupees four crore ninety eight lakh fouty three thousand two hundred only) for A.A. only.

15/07/2025
A.E.

15.07.2025
EE dgn. 7

15/07/25
SE

15/07/25

38